कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

अधिकरण अपील संख्या 797/2020 श्री कौशलेश शर्मा बनाम स्टेट व अन्य में दिए गए निर्णय दिनांक 03.09.2020 के संबंध में अपीलार्थी द्वारा निर्णय पालना के सम्बंध में प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन दिनांक 09.09.2020 को अभिलेख एवं संबंधित सेवा नियमों की स्थिति के संबंध में देखा गया।

अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह मांग की गई है कि उनके द्वारा दिनांक 27.02.2020 को संबंधित संस्था प्रधान के माध्यम से एम.ए. भूगोल 2019(उत्तीर्ण तिथि 26.02.2020)संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय(माध्यमिक) करौली कार्यालय को भिजवाने हेतु प्रस्तुत कर दी थी, तथा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा) को पत्र दिनांक 03.03.2020 के द्वारा प्रकरण भिजवा दिया गया था। माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के द्वारा अपील संख्या 797/2020 में पारित आदेश दिनांक 03.09.2020 की पालना में उनकी एम.ए. 2019 की योग्यता संबंधित वरिष्ठता सूची में किया जाकर प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) की विभिन्न विषयों हेतु वर्ष 2020–21 की डीपीसी हेतु निर्मित स्थाई पात्रता सूची में यथास्थान नाम जुड़वाने सम्बंधी कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में की गई मांग के संबंध में माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के द्वारा अपील संख्या 797/2020 में पारित आदेश एवं अभिलेख तथा नियमों की स्थिति को देखा गया। माननीय अधिकरण द्वारा अपील संख्या 797/2020 में आदेश दिनांक 03.09.2020 के द्वारा अपील निस्तारित करते हुए यह आदेश पारित किया गया है कि अपीलार्थी अपील में वर्णित आधारों पर अपना अभ्यावेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करें तथा सक्षम अधिकारी अभ्यावेदन पर राज्य सरकार व विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये अभ्यावेदन निस्तारित करें। अभिलेखीय स्थिति के अनुसार अपीलार्थी की एम.ए. 2019 की योग्यता संबंधित वरिष्ठता सूची में दर्ज करवाने सम्बंधी प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय माध्यमिक) करौली के पत्र दिनांक 03.03.2020 के द्वारा संबंधित संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा) भरतपुर को भिजवाया गया था, तथा उनके कार्यालय में यह प्रकरण दिनांक 19.03.2020 को प्राप्त हुआ, दिनांक 23.03.2020 से कोविड 19 के कारण लॉक डाउन लागू होने के कारण इस प्रकरण पर कार्यवाही तत्समय नहीं की जा सकी, एवं लॉक डाउन हटने के उपरांत अपीलार्थी द्वारा योग्यता अभिवृद्धि के सम्बंध में प्रस्तुत प्रकरण में आक्षेप होने के कारण आक्षेप पूर्ति हेतु पत्र दिनांक 15.05.2020 के द्वारा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को लौटा दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण आक्षेप पूर्ति करते हुए पत्र दिनांक 26.05.2020 के द्वारा संबंधित संयुक्त निदेशक को भिजवा दिया गया। संबंधित संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा) भरतपुर के आदेश दिनांक 25.08.2020 के द्वारा मण्डल स्तरीय वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी की एम.ए. 2019 भूगोल की योग्यता अभिवृद्धि कर दी गई एवं निदेशालय के आदेश दिनांक 04.11.2020 के द्वारा अपीलार्थी की संबंधित राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में योग्यता अभिवृद्धि कर दी गई। चूंकि प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) भूगोल की चयन वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के प्रति चयन हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 21.08.2020 को आयोजित की जा चुकी थी एवं अपीलार्थी की मण्डल स्तरीय वरिष्ठता सूची में आदेश दिनांक 25.08.2020 के द्वारा एवं राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में आदेश दिनांक 04.11.2020 के द्वारा एम.ए. 2019 भूगोल उत्तीर्ण तिथि 26.02.2020 जोड़ी गई है, अतः अपीलार्थी के द्वारा अभ्यावेदन में प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) पद की 2020–21 की स्थाई पात्रता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने सम्बंधी की जा रही मांग स्वीकार किया जाना संभव नहीं रहा है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा एम.ए. 2019 भूगोल की योग्यता अभिवृद्धि हेतु प्रकरण माह फरवरी 2020 में ही प्रस्तुत कर दिया गया था एवं आक्षेप पूर्ति सहित प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय–माध्यमिक) करौली के पत्र दिनांक 26.05.2020 के द्वारा संबंधित संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा) भरतपुर कार्यालय को प्रस्तुत कर दिया गया था, अतः योग्यता अभिवृद्धि में हुए विलम्ब के लिये अपीलार्थी को दोषी नहीं माना जा सकता, अतः अपीलार्थी का प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) भूगोल की चयन वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के प्रति निर्मित पात्रता सूची में नाम सम्मिलित करते हुए इनके चयन पर विचार करने हेतु रिव्यू डीपीसी के प्रस्ताव शासन को स्वीकृति हेतु भिजवाने सम्बंधी निर्णय लिया जाकर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर
दिनांक 23/07/21

क्रमांकः–शिविरा–माध्य/संस्था/ओएसी/डीपीसी/अपील संख्या 797/कौशलेश शर्मा/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर
2. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ)विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. संबंधित संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा) भरतपुर
5. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक–विधि) जयपुर
6. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
7. संबंधित याचिकार्थी श्री कौशलेश शर्मा व0आ0 राउमावि, लोहर्रा जिला करौली (रजिस्टर्ड)
8. अनुभाग अधिकारी डीपीसी अनुभाग को राज्य स्तरीय वरिष्ठता क्रमांक 2252 अवधि 2012–13 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. रक्षित पत्रावली
10. ACP. कम्प्यूटर अनुभाग

संयुक्त निदेशक(कार्मिक),
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर